सं.12018/07/2015-ईपीआई/वीआई
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 12 जनवरी, 2016

भर्ती नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (सोलन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए एतद द्वारा उन सभी व्यक्तियों को सूचना के लिए प्रकाशित करती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप भर्ती नियमों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा।

किसी व्यक्ति से उपर्युक्त निर्धारित अवधि में प्राप्त उक्त प्रारूप भर्ती नियमों से संबंधित आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई है, श्री सुनील कुमार,अवर सचिव, कमरा नं. 508 डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियमावली

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों को केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, कनिष्ठ अनुवादक, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, भर्ती नियम, 2016 कहा जाएगा।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

1. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

2. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **निरर्हता**: वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

4. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

5. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	
कनिष्ठ अनुवादक	2* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रू. + ग्रेड वेतन 4200 रू.	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(6)	(7)	(8)
30 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें अँग्रेजी एक अनिवार्य विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अँग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें हिन्दी एक अनिवार्य विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अँग्रेजी या हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अँग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो। या	लागू नहीं

कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अँग्रेजी या हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में अँग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अँग्रेजी या हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अँग्रेजी और हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो। अँग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अँग्रेजी में अनुवाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय, भारत सरकार के उपक्रम सहित अँग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अँग्रेजी में अनुवाद कार्य का दो वर्षों का अनुभव। **टिप्पण—1**: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण—2** : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: "एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है:- (क) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारक; और (ख) स्तम्भ (7) के तहत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता और अनुभव धारक।"	लागू नहीं	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (नियमितीकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली : अध्यक्ष 2. उप निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली : सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली : सदस्य सचिव 4. लेखा अधिकारी, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली : सदस्य 5. स्थानीय मिलिटरी अस्पताल के समूह 'क' अधिकारी : सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं

(फ. सं. ए. 12018/07/15-ईपीआई)

(सुनील कुमार)
अवर सचिव भारत सरकार
फोन. 011-23061436